



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : www.bsea.bihar.gov.in, ई मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि. प्रा./ नि. 1-13/2023

प्रेषक,

1030

/पटना, दिनांक 29/05/2023

पुरुषोत्तम पासवान,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.),

अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, भागलपुर एवं मुंगेर।

उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स. स.),

अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, भागलपुर एवं मुंगेर।

प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.),
(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय : प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) एवं अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्वाचन प्रस्ताव के आलोक में प्राधिकार उन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों का निर्वाचन कराना चाहता है, जो अधिक्रमित हैं या जिनका निर्वाचन देय है। इन समितियों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गई है।

4. प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों की उपविधियाँ में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि संबंधित समिति से सम्पर्क स्थापित कर उसकी उपविधियाँ की एक प्रति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को तुरंत उपलब्ध करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से भी संबंधित समिति की उपविधियाँ स्थानीय स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

5. इन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने दिनांक 30.04.2023 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो दिनांक 30.04.2023 तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

i) सूची में अंकित दुग्ध उत्पादक समिति प्रपत्र-एम 1 में तीन प्रतियों में प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर अपने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक को समर्पित करेंगे। ज्ञातव्य है कि प्राधिकार के पत्रांक 131 दिनांक 15.01.2019 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में संबंधित दुग्ध समिति ने पूर्व में अपनी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित तथा पर्यवेक्षकीय कर्मी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सूची तैयार

की होगी। प्रबंधकारिणी समिति की उक्त बैठक के बाद एवं मतदाता सूची की तैयारी के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि के पूर्व, कोई सदस्य बनाए गए हों, या हटाए गए हों या मृत हो गए हों, तो वैसे परिवर्तनों के आधार पर किये गये संशोधनों को भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जाएगा एवं उस पर यथास्थिति समिति के अध्यक्ष/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची होगी। अतः उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो समिति को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत तथा किस प्रक्रिया को अपनाकर सदस्यता समाप्त की गयी है। दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो तो उसका उल्लेख प्रपत्र- एम 1 के स्तंभ- 5 में निश्चित रूप से कर दिया जाए। समिति का यह भी दायित्व होगा कि कट-आफ तिथि तक वैध रूप से सदस्य बनाए गए सभी व्यक्तियों का नाम प्रपत्र- एम 1 में अवश्य सम्मिलित रहे। समिति के स्तर पर तैयार की गई यह प्रारूप मतदाता सूची संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक को दिनांक 03.06.2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक प्रारूप मतदाता सूची प्रबंध निदेशक को समर्पित करने में विफल रहती है तो यह प्रबंध निदेशक का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की प्रारूप मतदाता सूची अपनी देख-रेख में तैयार कराएँ।

ii) समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जाँच संबंधित प्रबंध निदेशक द्वारा आवश्यक रूप से की जाएगी। प्रबंध निदेशक प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख यथा- सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची दिनांक 06.06.2023 तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जायेगा। प्रबंध निदेशक की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनाएँ सही हैं तथा कट-ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों का नाम मतदाता सूची में शामिल रहे। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गई है। अतः प्रबंध निदेशक का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपनाकर ही सदस्यता समाप्त की गई हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम समिति ने हटा दिया है और समिति द्वारा कड़िका- 6 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो तो प्रबंध निदेशक उसकी मान्यता नहीं देंगे और तदनुसार सूची में सुधार करेंगे।

iii) संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-एम 2 में निर्गत की जायेगी।

7. उक्त दुग्ध समितियों की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र.	कार्यक्रम	तिथि
i	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध कराना	03.06.2023
ii	दुग्ध संघ द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	06.06.2023
iii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	07.06.2023
iv	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	07.06.2023
v	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	07.06.2023 से 17.06.2023 तक
vi	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	20.06.2023

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ के कार्यालय के सूचना पट पर।

9. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हॉ अथवा नहीं में) दिनांक 07.06.2023 को निम्नरूप से किया जायेगा :-

Step -1

- लॉगिन करने हेतु निर्देश

निर्वाचन पदाधिकारी अपने कम्प्यूटर के किसी इंटरनेट ब्राउजर पर प्राधिकार का वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> टाइप कर खोलेंगे। वेबपेज के दांये ऊपर लॉगिन पर क्लिक करें। प्राधिकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये अपने यूजरनेम तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

Step -2

- प्रारूप मतदाता सूची संबंधी सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश

लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" में हॉ अथवा नहीं का चयन कर सबमिट करेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर "मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं" पर क्लिक कर देख सकेंगे। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्रबंध निदेशक को दिनांक 08.06.2023 तक उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त सूचनाओं को समेकित कर प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर दिनांक 09.06.2023 तक भेज दिया जायेगा।

अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रारूप प्रकाशन की स्थिति/ सूचना को ससमय प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रविष्टि करायें, ताकि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके।

10. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा प्रपत्र-एम 3 में तथा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र-एम 4 में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित दुग्ध उत्पादक समिति के सदस्य हैं। बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी। सादे कागज पर दी गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।

11. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

12. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो तो मांगे जाने पर समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के विहित प्रावधानों का पालन करते हुए ही नाम हटाया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर प्रबंध निदेशक से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था परन्तु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण-पत्र/ शेयर प्रमाण-पत्र/ मिल्क यूनियन द्वारा निर्गत फोटो प्रमाण-पत्र/ फोटोयुक्त प्रोक्वोरमेंट चार्ट

की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जाएगी। साथ ही साथ आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

13. आपत्तियों का निष्पादन करने में अपनी सहायता हेतु निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित संघ से आवश्यकतानुसार एक या अधिकतम दो कर्मियों, जो प्रापन सहायक (Procurement Assistant) या रूट इंचार्ज (Route Incharge) या दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी या कैम्प प्रभारी हो सकते हैं, की प्रतिनियुक्ति अपने यहाँ करेंगे। ये पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी के साथ संबद्ध रहेंगे एवं वैसे संगत अभिलेख/ कागजात आदि समिति से प्राप्त कर निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो उनके द्वारा आपत्तियों/ दावों के निष्पादन हेतु आवश्यक समझा जाय। स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी केवल निर्वाचन पदाधिकारी के सहायतार्थ होंगे एवं किसी भी समय उनकी भूमिका उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नहीं होगी।

14. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें प्रपत्र-एम 5 में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन प्रपत्र-एम 6 में किया जायेगा।

15. संबंधित दुग्ध उत्पादक समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

16. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा प्रपत्र-एम 1 में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे, एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

17. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति दुग्ध उत्पादक समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध करा दी जायेगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 1.50/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

18. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पूर्व प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsca.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक 20.06.2023 को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हॉ अथवा नहीं में) करेंगे :-

Step -1- मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश :-

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित "अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" में हॉ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

दिनांक 21.06.2023 के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन की एक प्रति प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से संबंधित प्रबंध निदेशक को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। प्रबंध निदेशक प्रपत्र-एम 7 में ही सभी निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित कर उसी प्रपत्र में फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) या विशेष दूत द्वारा दिनांक 22.06.2023 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

19. कोविड-19 का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी दावा/ आपत्तियों का निष्पादन करते समय कोविड-19 संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा सुनवाई के समय भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि दावा/ आपत्तियों के निष्पादन हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर अलग-अलग दावों के लिए अलग-अलग समय का निर्धारण किया जाय। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा उनपर सुनवाई के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति की सूची।

(पुरुषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 1030

/पटना, दिनांक 29/05/2023

प्रतिलिपि— प्रबंध निदेशक, कम्पेड, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गया डेयरी, कटारी हील रोड, गया— 823001/ प्रबंध निदेशक, मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, समस्तीपुर डेयरी, आद्यौगिक क्षेत्र, पोस्ट— हरपुर एलौथ, जिला— समस्तीपुर/ प्रबंध निदेशक, विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मायागंज, हॉस्पिटल रोड, भागलपुर— 812001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित संघ के प्रबंध निदेशक निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (Dutybound) हैं।

3. उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे कट-ऑफ तिथि के आधार पर दुग्ध समिति से निर्धारित तिथि को प्रपत्र- एम 1 में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक : 1030

/पटना, दिनांक 29/05/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 1030

/पटना, दिनांक 29/05/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 1030

/पटना, दिनांक 29/05/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पुरुषोत्तम पासवान)
सचिव।

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची:-

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
1	अरवल	करपी	अईयारा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
2	अरवल	करपी	कन्हैयाचक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
3	अरवल	करपी	जगमोहन बिगहा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
4	अरवल	करपी	नरगा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
5	अरवल	करपी	पुरान दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
6	अरवल	करपी	सेलारपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
7	अरवल	कलेर	उसरी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
8	अरवल	कलेर	महिला कामता दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
9	अरवल	कुर्था	गहरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
10	अरवल	कुर्था	पुलेन्दरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
11	अरवल	कुर्था	बार १ दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
12	अरवल	सोनभद्र वंशी सूर्यपुर	सोनभद्र दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
13	औरंगाबाद	गोह	महिला रामपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
14	गया	कौंच	खैरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
15	गया	कौंच	महिला दौलतपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
16	गया	गुरारू	महिमापुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
17	गया	गुरुआ	फुलवरिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
18	गया	गुरुआ	महिला खुटहा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
19	गया	टिकारी	शिवनगर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
20	गया	बोधगया	असनी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
21	गया	बोधगया	महिला बसाढ़ी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
22	गया	बोधगया	मोचारिम दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
23	जहानाबाद	मखदुमपुर	छतियाना दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
24	जहानाबाद	मखदुमपुर	महिला रामपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
25	दरभंगा	केवटी	मझिगामा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
26	दरभंगा	केवटी	रनवे केवटी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
27	दरभंगा	केवटी	लाधा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
28	दरभंगा	घनश्यामपुर	उसराही सुपौल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
29	दरभंगा	घनश्यामपुर	दोहथा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
30	दरभंगा	जाले	अहियारी दक्षिणी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
31	दरभंगा	दरभंगा	हरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
32	दरभंगा	बिरौल	गम्हरिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
33	दरभंगा	बिरौल	तालिबपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
34	दरभंगा	बेनीपुर	कन्हौली दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
35	दरभंगा	सिंहवाड़ा	कोरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
36	दरभंगा	सिंहवाड़ा	राजो दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
37	दरभंगा	सिंहवाड़ा	लोरिका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
38	दरभंगा	सिंहवाड़ा	सिरहुल्ली दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
39	दरभंगा	हनुमान नगर	महमूदपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
40	दरभंगा	हनुमान नगर	संतपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
41	मधुबनी	बेनीपट्टी	नगवास दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
42	मधुबनी	लखनौर	पुरे दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
43	समस्तीपुर	उजियारपुर	डीह नाज़ीरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
44	समस्तीपुर	कल्याणपुर	मुसेपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
45	समस्तीपुर	कल्याणपुर	सिंगियाही महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
			समिति लिमिटेड	लिमिटेड
46	समस्तीपुर	कल्याणपुर	खजुरी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
47	समस्तीपुर	कल्याणपुर	ढाव दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
48	समस्तीपुर	कल्याणपुर	भटठीचौक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
49	समस्तीपुर	कल्याणपुर	मिर्जापुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
50	समस्तीपुर	खानपुर	बसंतपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
51	समस्तीपुर	खानपुर	सोभन दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
52	समस्तीपुर	खानपुर	हरिहरपुरखेड़ी महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
53	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	मधैपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
54	समस्तीपुर	पटोरी	माधोपट्टी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
55	समस्तीपुर	बिथान	कुआ दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
56	समस्तीपुर	बिथान	बतरडीहा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
57	समस्तीपुर	मोहिउद्दीननगर	बंगलापर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
58	समस्तीपुर	रोसड़ा	पिटठाडोभी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
59	समस्तीपुर	रोसड़ा	भिरहा पश्चिम दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
60	समस्तीपुर	वारिसनगर	मनियारपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
61	समस्तीपुर	विभूतिपुर	बरियारपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
62	समस्तीपुर	समस्तीपुर	रघुनाथपुर बेला महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
63	समस्तीपुर	सरायरंजन	सुरमार महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
64	समस्तीपुर	सिंधिया	पैकरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
65	समस्तीपुर	हसनपुर	नयानगर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
66	समस्तीपुर	हसनपुर	महुआ दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
67	समस्तीपुर	हसनपुर	वैदा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
68	बांका	रजौन	तिलकपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
69	बांका	रजौन	धायहरना महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
70	बांका	शंभुगंज	लाखा महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
71	भागलपुर	कहलगांव	लघरिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
72	भागलपुर	गोराडीह	जमसी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
73	भागलपुर	नाथनगर	भरत रसलपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
74	भागलपुर	पीरपैती	नवादा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
75	भागलपुर	शाहकुंड	भुलनी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
76	मुंगेर	तारापुर	आदर्श खैरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
77	मुंगेर	तारापुर	मुश्कीपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड